



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला मुरादाबाद
तहसील मुरादाबाद
आवेदन क्र० 16040030089372
प्रमाणपत्र क्र० 042163024116

जारी दिनांक: 23/09/2016

प्रमाणित किया जाता है कि	कु. आँचल
पुरुष/पुत्री	श्री लखन सैनी
गाँव का नाम	श्रीमती रेवा
निवासी	पंडित नराला
ग्राम	
तहसील	मुरादाबाद
जिला	मुरादाबाद



उत्तर प्रदेश राज्य की सौनी जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९२५ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कु. आँचल पूर्वोक्त अधिनियम १९२५ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या उससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: राजीव कुमार सैनी, राजीव सागर वैके
पद: राजीव कुमार सैनी, स्पष्ट प्रभारी
स्थान: बिना जी नगर महेसा, मुरादाबाद/Muradabad
दिनांक: 24/09/2016
हस्ताक्षर एवं मुहर

SANJAY
KUMAR

Digitally Signed by
SANJAY KUMAR OUP
GOVERNMENT,
CLERK IN CHARGE,
CHIEF OF SANJAY
KUMAR, S-UTTAR
MURADABAD

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
मुरादाबाद, मुरादाबाद
दिनांक: 23/09/2016

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिभूत वर्गों द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://distriktagujarat.in> पर इसका पडो आवेदन क्र० निम्न प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।